



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सीएमएचओ प्रतापगढ़ एवं कार्यालय के संविदा कर्मी द्वारा निजी चिकित्सालय के संचालक से अस्पताल संचालन व. सोनोग्राफी, **MAA** आयुष्मान योजना के **MOU** के लिये 2,75,000 /— रुपये की रिश्त मांगने पर एसीबी में प्रकरण दर्ज।

जयपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी प्रतापगढ़ इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए श्री जीवराज मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ एवं कार्यालय के संविदा कर्मी द्वारा निजी चिकित्सालय के संचालक से अस्पताल संचालन व. सोनोग्राफी, **MAA** आयुष्मान योजना के **MOU** के लिये 2,75,000 /— रुपये की रिश्त मांगने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण सख्या 246/2026 दिनांक 31.01.2026 धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) बी.एन.एस 2023 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि ए.सी. बी. की चौकी प्रतापगढ़ पर दिनांक 03.01.2026 को एक शिकायत मिली कि जीवराज मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ व महेश पाटीदार संविदाकर्मी कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ के विरुद्ध परिवादी द्वारा निजी चिकित्सालय एस.एस. हॉस्पिटल प्रतापगढ़ व धरियावद के हॉस्पिटल के संचालन, सोनोग्राफी, **MAA** आयुष्मान योजना के **MOU** पर हस्ताक्षर करने हेतु एवं मासिक बंदी के एवज में रिश्त राशी 2,75,000 /— रुपये कि मांग की जा रही है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक—प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ए.सी.बी. प्रतापगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह के नेतृत्व में रिश्त राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान जीवराज मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ व महेश पाटीदार संविदाकर्मी कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ के विरुद्ध परिवादी से हॉस्पिटल के संचालन, सोनोग्राफी, **MAA** आयुष्मान योजना के **MOU** पर हस्ताक्षर करने एवं मासिक बंदी के एवज में रिश्त राशी मांग किया जाना पाया गया। इसी बीच ए.सी.बी. में रिपोर्ट दिये जाने से पूर्व आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व की घटनाओं को लेकर अनुचित लाभ प्राप्त करने बाबत खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने से आरोपी के सतर्क हो जाने से अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में अग्रिम अनुसंधान एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही जारी।